झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–144/2016 .... राँची, दिनांक–..................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत 2 अदद चेकडैम योजना के निर्माण लागत राशि रू॰ 125.779 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत 2 अदद चेकडैम योजना के निर्माण की लागत राशि रू॰ 125.779 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य की भौगोलिक स्थिति एंव सुखाड़ की समस्या को देखते हुए छोटे–छोटे नदी नालों के जल बहाव को रोक कर चेकडैम का निर्माण किया जाना है। इनके निर्माण से नदी नालो के जल को सरंक्षित कर आगामी वर्षो में कृषको को सिंचाई सुविधा के साथ–साथ दैनिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

4. चेकडैम के निर्माण के पूर्व स्थल का सर्वेक्षण कर जल के प्रवाह की गति, मिटट्ी का प्रकार, कमांड एरिया का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरांत नदी/नाले के जलश्राव की गणना की जाती है एंव तदुपरांत रूपांकण कर चेकडैम के विभिन्न अवयवों की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई एंव विशिष्टियों का निर्धारण किया जाता है जिससे की संरचना का स्थायित्व प्रभावित न हो। योजना के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामग्री एंव संरचना के निर्माणाधीन अवयवों के गुणवत्ता की जांच भी समय–समय पर गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा की जाती है। इस प्रकार का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभियंता के द्वारा सम्पादित किया जाना योजना के हित में है।

5. (क) **चेकडैम / श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजना के कार्यान्वयन के पूर्व चयनित नदी/नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल विशेष की स्थिति के आलोक में रूपांकण के आधार पर योजनावार विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।**

(ख) चेकडैम/श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

6. (क) कुल दो अदद चेकडैम योजनाओं के निर्माण का प्रावधान है। सिंचन कार्य हेतु प्रति चेकडैम के साथ माइक्रोलिफ्ट योजना का प्रावधान है। योजनाओं की विवरणी परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

(ख) दोनो योजनाओं की कुल लागत रू॰ 125.779 लाख है, जिससे 95 हे॰ सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू॰ 1,32,395/प्रति हेक्टेयर आकलित है।

7. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य–अंतर्गत भारित होगा।

8. योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जायेगा।

9. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:–परिशिष्ट–I

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–144/2016 .... राँची, दिनांक–.................
प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट–I

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–144/2016 .... राँची, दिनांक–.................
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट–I

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–144/2016 71/17-18 जि.स्वी. **राँची, दिनांक–**02.01.2018
प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट–I

02/01/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

02/01/18

लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद अंतर्गत चेकडैम निर्माण कार्य की सूची–

परिशिष्ट–1

क्रम सं०	ल०सिं० प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे०)			Incidence of cost (in Lakh)	B.C Ratio 10%	अभि०
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हुसैनाबाद	पलामू	लकराही नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	नौडीहा बाजार	50.113	35	10	45	1.11	1.14	
2	हुसैनाबाद	पलामू	पनघटवा नाला पर एकल चेकडैम का निर्माण	नौडीहा बाजार	75.666	40	10	50	1.51	1.09	
			कुल :–		**125.779**	**75**	**20**	**95**			

पत्रांक 71/17-18 प्र०स्वी० दिनांक 02.01.2018

02/01/2018
उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग
02/01/18